

पत्रावली प्रेषण हुई। पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड... व्यवस्था होने के कारण पत्रावली
पूर्वानुसार दिनांक 19.11.2019 की प्रेषण हो।

10
2020

पत्रावली प्रेषण हुई। वकील कादी उपखण्ड
प्रकरण में तद्वकीलद्वारा रिजॉल की रिपोर्ट
अनुसार सामाजिक कल्याण सं 5815 दि 24-1-2019
द्वारा रिजॉल की प्रालना की जा चुकी है। अतः
प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से
पत्रावली रूपा की जाती है। पत्रावली केवल शुभकर
द्वारा लम्बर से काम है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

